



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042024-253614
CG-DL-E-09042024-253614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1568]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2024/चैत्र 20, 1946

No. 1568]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2024/CHAITRA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2024

सं. 38/2024

का.आ. 1651(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम सं. 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम सं. 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु 'अनुसंधान संघ' की श्रेणी के तहत 'अमूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, आनंद, गुजरात (पैन: AAATA2673H)' को अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2008-09 से 2021-22 तक लागू मानी जाएगी।

[फा. सं. 203/10/2021-आईटीए-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. यह अधिसूचना मैसर्स अमूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाम सीबीडीटी के मामले में रिट याचिका संख्या 2913/2009 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 04.08.2009 के आदेश और 2012 के एससीए संख्या 9237 दिनांक 16.10.2018 के एक अन्य आदेश के परिणामस्वरूप जारी की गई है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2024

No. 38/2024

S.O. 1651(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves ‘**Amul Research and Development Association, Anand, Gujarat (PAN: AAATA2673H)**’ under the category of ‘**Research Association**’ for research in ‘Scientific Research’ for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be deemed to have been applied from Assessment Years (AYs) 2008-09 to 2021-22.

[F. No. 203/10/2021/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH. T., Under Secy.

Explanatory Memorandum

1. This Notification is issued in consequence to Hon'ble Gujarat High Court order dated 04.08.2009 in Writ Petition No.2913/2009 and another order dated 16.10.2018 in SCA No. 9237 of 2012 in case of M/s Amul Research and Development Association vs. CBDT.
2. It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this Notification.